भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 634

(06 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन

634. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

श्री सी.एन. अन्नादुरई:

श्री जी. सेल्वमः

श्री धनुष एम. कुमार:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्रीमती मंजुलता मंडल:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत विशेषकर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आबंटित/स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए निर्मित/पूरे/स्वीकृत/आवंटित किए गए आवासों की वर्ष-वार, राज्य और जिला-वार संख्या कितनी है;

(घ) इस समय इस योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतीक्षा सूची में राज्य-वार , विशेषकर उपरोक्त राज्यों में कितने लाभार्थी हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उपरोक्त राज्यों सहित प्रतीक्षा सूची के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को आवास आवंटित करने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च, 2024 तक आधारभूत सुविधाओं से संपन्न 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ के समग्र लक्ष्य को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच आवंटित किया गया है। 2.95 करोड़ मकानों के समग्र अनिवार्य लक्ष्य में से, लाभार्थियों को 2.94 करोड़ से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और दिनांक 03.02.2024 की स्थिति के अनुसार 2.55 करोड़ मकानों का निर्माण पहले ही किया जा चुका हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकानों के निर्माण सहित सभी निर्माण कार्यकलाप भी प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की अनिच्छा , स्थायी प्रवास, मृत लाभार्थियों के विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के आवंटन में देरी कभी-कभी सामान्य/विधानसभा/पंचायत चुनाव , निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियां होती हैं , जिसमें पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में राज्य कोषागार से केंद्रीय और राज्य का हिस्सा जारी करने में देरी शामिल है।

(ख): पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान यानी वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष रुप से तमिलनाडु , महाराष्ट्र, ओड़िशा, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह राज्य में जारी निधि और उपयोग की गई निधियों के केंद्रीय अंश का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध- I** में दिया गया है।

(ग): पिछले तीन वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत मकानों और पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकानों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

पीएमएवाई-जी के तहत पूर्ण किए गए मकानों का राज्य/जिला-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in--->AwaasSoft--->Reports--->Houses completed in a financial year irrespective of target year पर देखा जा सकता है।

पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत मकानों का राज्य/जिला-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट पर www.pmayg.nic.in---->AwaasSoft---->Reports----> Houses progress against the target financial year पर देखा जा सकता है

(घ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता का लक्ष्य वे ही लोग हों , जो वास्तव में वंचित हैं, और उनका चयन उद्देश्यपूर्ण और सत्यापन योग्य है , पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) , 2011 में निर्दिष्ट आवास वंचन मापदंडों का उपयोग करके की जाती है। एसईसीसी डेटाबेस के माध्यम से उपलब्ध पात्र लाभार्थियों की संख्या वर्तमान में 2.04 करोड़ (लगभग) है। सरकार ने जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आवास+ सर्वेक्षण किया, जिन्होंने 2011 के एसईसीसी सर्वेक्षण के तहत छूट जाने

का दावा किया और इस प्रकार संभावित लाभार्थियों की एक अतिरिक्त सूची तैयार की गई है। लगभग 91 लाख (2.95 करोड़ - 2.04 करोड़) के अंतर को भरने के लिए, आवास + डेटा का उपयोग किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2.95 करोड़ आवासों का संपूर्ण लक्ष्य पहले ही आबंटित किया जा चुका है।

पीएमएवाई-जी(03.02.2024 तक) के तहत जिन लाभार्थियों को स्वीकृति दी जानी है उनकी संख्या विशेष रूप से तमिलनाडु , महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में , का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ): पीएमएवाई-जी के तहत मकानों का समय पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित पहल कर रहा है:

i. मंत्रालय स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा।

ii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन और पर्याप्त निधियां जारी करना।

iv. केंद्र और राज्य अंश निधियों को जारी करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना।

v. प्रदर्शन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों , जिलों को पुरस्कार दिए जाएंगे , जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा पैदा हो सके।

*****

अनुबंध-I

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के संबंध में लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने के नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 634 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध-।

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान यानी वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी निधि और उपयोग की गई निधियां के केंद्रीय अंश का राज्य-वार विवरण विशेष रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2020-21		2021-22		2022-23	
		केंद्र द्वारा जारी अंश	उपयोग (राज्य अंश सहित)	केंद्र द्वारा जारी अंश	उपयोग (राज्य के अंश सहित)	केंद्र द्वारा जारी अंश	उपयोग (राज्य के अंश सहित)
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	5.97	104.85	16.70	69.58	127.27
2	असम	1,503.43	1,269.44	5,771.11	2,195.33	9,141.75	10,913.25
3	बिहार	6,683.93	10,004.40	3,082.22	5,954.44	7,497.21	11,718.07
4	छत्तीसगढ़	307.13	983.99	0.00	31.32	344.23	822.15
5	गोवा	0.00	0.53	0.00	0.37	0.00	0.49
6	गुजरात	192.78	495.64	687.29	893.09	911.75	1,004.66
7	हरियाणा	0.00	13.27	0.00	17.26	44.33	62.35
8	हिमाचल प्रदेश	10.62	23.40	32.97	44.04	37.86	33.24
9	जम्मू और कश्मीर	795.86	599.35	123.43	419.37	1,031.58	709.95
10	झारखंड	3,348.51	3,750.22	1,207.91	4,237.82	1,236.02	2,127.40
11	केरल	0.00	25.05	0.00	66.87	70.29	94.63
12	मध्य प्रदेश	4,565.80	4,068.96	4,509.58	8,046.72	6,374.91	11,171.29
13	महाराष्ट्र	1,310.10	2,433.50	1,249.80	2,003.81	1,676.07	3,098.13
14	मणिपुर	84.89	93.49	21.01	26.86	161.14	128.80
15	मेघालय	191.08	185.54	90.13	72.51	106.44	88.26
16	मिजोरम	16.16	13.82	41.92	5.83	29.58	55.52
17	नागालैंड	17.40	2.12	17.41	20.44	52.50	28.68
18	ओडिशा	2,821.87	4,556.46	1,011.87	1,122.73	1,723.28	310.83
19	पंजाब	49.22	59.10	18.31	60.73	71.68	100.86
20	राजस्थान	1,108.59	3,679.45	1,405.46	2,332.48	2,157.52	3,036.53
21	सिक्किम	0.00	0.28	0.57	0.06	0.97	1.67
22	तमिलनाडु	78.62	672.61	928.93	668.86	2,004.39	2,290.47
23	त्रिपुरा	113.62	98.30	1,368.48	1,111.18	1,264.20	1,325.14
24	उत्तर प्रदेश	4,830.90	5990.29	3,727.00	7,869.83	4,777.03	7,317.50
25	उत्तराखंड	0.00	1.31	149.18	138.33	128.08	172.55
26	पश्चिम बंगाल	8,810.54	10,037.26	687.84	5,423.18	0.00	1,108.30
27	अण्डमान और निकोबार	16.88	8.53	0.00	1.87	0.00	0.42
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	33.46	0.00	21.85	0.00	13.55
29	लक्षद्वीप	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

31	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.65
32	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	214.92	0.00
34	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	2.94
कुल		**36,857.93**	**49,105.75**	**26,237.25**	**42,803.87**	**41,130.36**	**57,952.49**

अनुबंध-II

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के संबंध मेंलोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर दिए जाने के नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 634 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध-।

पिछले तीन वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत मकानों और पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकानों का राज्यवार विवरण

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2020-2021		2021-2022		2022-2023	
		स्वीकृत मकान	निर्मित मकान	स्वीकृत मकान	निर्मित मकान	स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	18,975	2,417	10,988	992	2,699	9,344
2	असम	1,50,036	1,30,879	2,16,302	1,17,694	10,52,658	10,09,142
3	बिहार	6,25,203	9,42,615	8,98,698	5,08,363	1,32,652	11,47,035
4	छत्तीसगढ़	1,57,531	59,684	371	23,289	81,374	33,575
5	गोवा	32	87	47	19	18	12
6	गुजरात	21,286	50,742	1,06,994	77,263	1,47,317	65,562
7	हरियाणा	60	1,215	3,316	263	5,091	5,404
8	हिमाचल प्रदेश	3,996	605	2,729	1,884	792	3,654
9	जम्मू और कश्मीर	64,030	21,569	55,841	42,515	7,804	79,271
10	झारखंड	3,61,523	2,35,011	3,90,130	2,95,036	11,582	3,63,311
11	केरल	3,328	686	12,605	2,440	1,625	8,825
12	मध्य प्रदेश	7,56,486	2,61,254	4,90,010	6,06,303	7,53,776	10,58,371
13	महाराष्ट्र	2,90,606	1,81,700	1,16,607	1,79,021	3,00,037	3,43,445
14	मणिपुर	17,822	2,379	1,725	3,626	13,845	13,955
15	मेघालय	26,477	5,016	3,353	7,009	8,864	6,913
16	मिजोरम	7,017	1,123	0	1,158	6,951	1,020
17	नागालैंड	4,706	535	9,750	0	4,187	3,210
18	ओडिशा	2,90,468	3,95,105	3,415	97,143	8,91,388	30,368
19	पंजाब	1,885	3,908	10,990	5,473	4,712	11,381
20	राजस्थान	2,63,934	3,15,480	3,86,636	1,41,342	7,437	3,95,037
21	सिक्किम	0	13	274	5	47	41
22	तमिलनाडु	1,01,919	51,868	2,20,193	57,322	36,581	1,75,291
23	त्रिपुरा	991	15,462	1,57,216	1,639	51,868	1,80,495
24	उत्तर प्रदेश	7,28,282	37,710	4,34,798	10,94,653	8,59,465	6,62,309
25	उत्तराखंड	47	19	15,389	3,844	18,687	12,493
26	पश्चिम बंगाल	9,41,566	6,78,583	1,66,630	9,59,229	11,06,802	1,47,379
27	अण्डमान और निकोबार	397	483	0	335	6	97
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	94	972	47	641	927	1,486
29	लक्षद्वीप	0	28	0	7	0	0
30	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0

31	आंध्र प्रदेश	1,816	0	0	0	1,78,899	2,167
32	कर्नाटक	35,550	2,405	3,864	11,239	37,859	2,641
33	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	200	62	450	22	1	1
	कुल	**48,76,263**	**33,99,615**	**37,19,368**	**42,39,769**	**57,25,951**	**57,73,235**

अनुबंध-III

पिछले तीन वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत मकानों और पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकानों का राज्यवार विवरण

पीएमएवाई-जी (03.02.2024 तक) के तहत जिन लाभार्थियों को स्वीकृत किया जाना है उनकी संख्या का राज्य-वार विवरण विशेष रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में

क्र.सं.	राज्य के नाम	आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृत मकान	जिन लाभार्थियों को मकान स्वीकृत किया जाना है
1	अरुणाचल प्रदेश	36,210	36,112	98
2	असम	20,41,807	20,13,506	28,301
3	बिहार	37,01,576	37,01,479	97
4	छत्तीसगढ़	11,76,142	11,76,142	0
5	गोवा	257	257	0
6	गुजरात	6,03,922	6,03,700	222
7	हरियाणा	29,404	29,404	0
8	हिमाचल प्रदेश	25,471	25,471	0
9	जम्मू और कश्मीर	3,37,129	3,36,980	149
10	झारखंड	15,92,171	15,92,168	3
11	केरल	35,167	35,163	4
12	मध्य प्रदेश	38,00,415	38,00,292	123
13	महाराष्ट्र	13,77,817	13,76,975	842
14	मणिपुर	1,01,558	1,01,550	8
15	मेघालय	1,88,297	1,88,295	2
16	मिजोरम	29,967	29,967	0
17	नागालैंड	48,830	48,830	0
18	ओडिशा	27,26,133	27,26,006	127
19	पंजाब	39,729	39,725	4
20	राजस्थान	17,17,996	17,17,499	497
21	सिक्किम	1,400	1,399	1
22	**तमिलनाडु**	**7,51,421**	**7,50,521**	**900**
23	त्रिपुरा	3,77,057	3,77,030	27
24	उत्तर प्रदेश	36,15,041	36,14,951	90
25	उत्तराखंड	69,303	69,275	28
26	पश्चिम बंगाल	45,69,532	45,69,446	86
27	**अण्डमान और निकोबार**	**3,424**	**3,424**	**0**
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,436	11,436	0
29	लक्षद्वीप	45	45	0
30	पुदुचेरी	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	2,46,430	2,46,430	0
32	कर्नाटक	2,41,908	2,41,865	43

33	तेलंगाना	0	0	0
34	लद्दाख	3,005	3,004	1
	कुल	**2,95,00,000**	**2,94,68,347**	**31,653**

*****